न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 25/2018 (2018/00325)

1. गोपाल पुत्र जगन्नाथ
2. रघुराज पुत्र श्योजी
3. गजराज पुत्र श्योजी
4. मुकेश पुत्र श्योजी
5. [illegible] पुत्री श्योजी
6. [illegible]मलेशी पुत्री श्योजी
7. सुरेश पुत्री श्योजी

समस्त जाति जाट निवासीगण बघेरा तहसील केकडी जिलाअजमेर

---प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. हेमराज पुत्र उदा
2. रामनारायण पुत्र उदा
3. नोसर पुत्री उदा
4. अमरी पत्नि पोलूराम
5. बदाम पत्नि किशनलाल

समस्त जाति जाट निवासी बघेरा तह.केकडी जिला अजमेर

--- प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण

6. केली पत्नि पोलू माली
7. रामलाल पुत्र पोलू माली
8. रामलाल पुत्र प्रताप माली
9. नोरती पुत्री प्रताप माली
10. संतोक पत्नि भूरालाल
11. नरेन्द्र पुत्र भूरालाल जाट
12. विमला पुत्री भूरालाल जाट
13. बैजनाथ पुत्र श्योकरण जाट

समस्त निवासगण बघेरा तह.केकडी जिला अजमेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक 16.12.2021

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग 2021 केम्प बघेरा केम्प के दौरान प्रस्तुत की गई । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा 1 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बघेरा के जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता स. 286 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 419 रकबा 1.29 है. किस्म बारानी प्रथम , ख.न. 421 रकबा 1.29 है. किस्म बारानी प्रथम, ख.न. 424 रकबा 1.1300 है. किस्म बा.प्र., ख.न. 619/424 रकबा 2.91 है. किस्म बा.प्र. , व ख.न. 6020 /424 रकबा 0.01 हे. किस्म गै.मु. चाह में से रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया ।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण स. 10 –12 ने वादी को रास्ता दिये जाने मे सहमति प्रदान की । तहसीलदार केकडी से मौका रिपोर्ट तैयार करवायी गयी। जिससे पाया गया कि ग्राम बघेरा के खसरा नम्बर 423 प्रार्थीगण एंव अन्य खातेदार की सह खातेदार एंव कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थीगण वर्तमान में रिकॉर्डेड रास्ता ख.न. 294 ,428 के पश्चात 419 , 421 , 424 व 6019/424 के मध्य की मेड से संलग्न राजस्व मानचित्र अनुसार आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण के खेत की निकटतम दूरी गै.मु.रास्ता एंव ततपश्यचात सिवायचक खसरा नम्बर 415,416 में रास्ता विद्यमान है। मौका स्थिति अनुसार खसरा नम्बर 421 व 6019/424 के मध्य मेड पर पक्षकारान द्वारा मौके पर रास्ता छोड रखा है। ख.न. 419 एंव 424 के मध्य [illegible] सुखे पत्थर से दीवार बनी हुयी है । प्रार्थीगण द्वारा अपनी सुविधा अनुसार उपरोक्त ख.न. के मध्य की मेड [illegible] मध्य से रास्ता आवेदित किया है। प्रार्थीगण के खेत से निकटतम दूरी पर ख.न. 424 गै.मु.रास्ता एंव ततप[illegible]त सिवायचक ख.न. 415,416 रास्ता विद्यमान है इसकें पश्चात ख.न. 420, 421 ,422 में से रास्ता दिया जा सकता है। रास्ते के उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि में से ख.न. 424, 419, 421, 420, 6019/424 की भूमि बैंक के पक्ष में रहन है।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया जिससे पाया गया कि प्रार्थी के खेत निकटतम दूरी पर ख.न. 412 गै.मु. रास्ता एंव ततपश्चात सिवायचक ख.न. 415, 416 में रास्ता विद्यमान है जिसके पश्चात 420,421,422 में से रास्ता दिया जा सकता है। जो कि निकटतम दूरी का है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तथा ख.न. 412 के पश्चात 415,416, 420 , 421,422 की उत्तरी मेड पर 3 मीटर चौडा लम्बवत रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार केकडी उक्त रास्ते को सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। प्रार्थी उक्त रास्ते की भूमि का डी.एल.सी.दर अनुसार राशि तहसील कार्यालय में जमा करावें। तहसीलदार केकडी संबंधित खातेदारो को भुगतान की कार्यवाही करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करें।

आदेश मजमें आम प्रशासन गावो के संग अभियान शिविर स्थल बघेरा में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
एंव शिविर प्रभारी केकड़ी,

उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.17 13:53:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner